अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 74/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कु० दास वो अंचल निरीक्षक श्री गोपेश्वर दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बहुआ थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 84/43 दाग नं0 32 रकवा 00-09-06 किस्म परती कदीम श्री सुखदेव रविदास पिता चैतु रविदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री सुखदेव रविदास को दिनांक 30/7/16 समय 11:10 AM पुर्वाह्न् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(ह०) 30/7/16

अंचल अधिकारी,

महागामा।

30/7/16 अभिलेख उपस्थापित। सुखदेव रविदास पिता चैतु रविदास के पुत्री मला देवी पति मंजु दास उपस्थित। उन्होंने साक्ष्य के रूप में किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया। हल्का कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पेश गया था नहीं एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर किसका दखल कब्जा है के संबंध में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अगली तिथि के पूर्व समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

(ह०) 30/7/16

30-7-16

नो० पी० सुखदेव चैतु दास (ह०)

sandha

अभिलेख उपस्थापित। प्रमा सन्नी देवी उपस्थित। भूमि प्राप्ति संबंधी दस्तावेज की छाया प्रति समर्पित। अभिलेख दिनांक 27/8/16 को रखें।

11/8/16
अ० अ०

27/8/16

अभिलेख उपस्थापित।

दाखिल कागजात (भूमि प्राप्ति संबंधी) अपठनीय है। यदि भूमि प्राप्ति संबंधी कागजात पठनीय उपलब्ध हो तो दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 7/9/16 को रखें।

27/8/16

31/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

अं० अ०
महागामा
31/7/20

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया, प्रतिवेदनानुसार अवैध संदेहास्पद पंजी-II रैयत को भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई० सी० एल० ECL अधिग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत है।

अतः उक्त के आलोक में अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित
17/6/2021
अ० अ०
महागामा

17/6/2021
अंचल अधिकारी
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ...74.... / 2016–17 ...सुखदेव रविदास... पिता–...कैलु रविदास..., का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

05/05/21

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या .....74..... / 2016–17 ...सुखदेव रविदास... पिता– ...कैलु रविदास... ...., का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–इसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24 / ...43 के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकवा .....00-09-06..... धूर किस्म– परती–कदीम अंचल अधिकारी, महागामा / ~~अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा~~ के ....R.S...... केश नं0–....58/1962-63......... के माध्यम से ...सुखदेव रविदास... पिता–...कैलु रविदास... को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख को कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

5/5/21
Rajaul(?)

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2021.09.22 23:39:32 -07:00
Location: 192.168.8.108

F:PK/496

Scanned with CamScanner